भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **1329** जिसका उत्तर

शुक्रवार, **09 फरवरी**, **2024/20** माघ, 1945 (शक) को दिया जाना है

पत्तनों पर सुरक्षा मानक

†1329. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाया है ताकि निजी पोत पत्तन खतरनाक पदार्थों से होने वाले संभावित नुकसान से श्रमिकों की सुरक्षा के लिए समुचित सुरक्षा उपकरण और प्रशिक्षण के प्रावधान सहित व्यावसायिक सुरक्षा मानकों का पालन करें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने निजी पोत पत्तनों में श्रमिकों के मध्य खतरनाक पदार्थों के संपर्क के स्तर का मूल्यांकन करने और उनके कार्य वातावरण से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों की पहचान करने के लिए कोई मूल्यांकन या अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) निजी पोत पत्तनों द्वारा खतरनाक पदार्थों से संबंधित व्यावसायिक सुरक्षा नियमों के अनुपालन और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन तंत्र का ब्यौरा क्या है और गैर-अनुपालन के मामलों में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (ङ): जी, हां। सरकार ने पत्तनों में व्यावसायिक सुरक्षा मानक सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने डॉक श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करने तथा उनसे जुड़े मामलों के लिए डॉक श्रमिक (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 अधिनियमित किया है।

सभी महापत्तनों में फैक्टरी परामर्श सेवाएं और श्रम संस्थान महानिदेशालय (डीजीएफएएसएलआई), श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, इंस्पेक्टोरेट ऑफ डॉक सेफ्टी के माध्यम से केन्द्र सरकार होने के नाते डॉक श्रमिक (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 और उसके तहत बनाए गए विनियम, 1990 को लागू करने के लिए उत्तरदायी है।

महापत्तनों के अलावा अन्य पत्तनों के मामले में राज्य सरकार उपयुक्त प्राधिकारी है।

*****